न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **166 / 2024** अन्तर्गत धारा 188 RT Act

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
रसीदो पत्नी इब्राहीम जाति मुसलमान, निवासी चक गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. खमीशाखान पुत्र ओभायाखान 2. हासमखान पुत्र खमीशाखान 3. सायबी पत्नी खमीशाखान 4. ईसाकखान पुपत्र खमीशाखान 5. अब्दुलखान पुत्र खमीशाखान 6. सफी मोहम्मद पुत्र सतुखान 7. हसणखान पुत्र ईसाकखान जाति मुसलमान, निवासी चक गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– वादीनी अधिवक्ता – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 18.07.2025

वादीनी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीनी की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त का खेत मौजा चक गूंगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 313 / 195 रकबा 0.9712 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिस पर वादीनी का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीनी की आवगी खातेदारी है, जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। उक्त वादग्रस्त आराजी ग्राम चक गूंगा की आबादी भूमि से सटी हुई आई होने से प्रतिवादीगण, वादीनी के खातेदारी खेत पर कब्जा करने करने की ताक में है। वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा पिकअप गाड़ी से छीणों के टुकड़े डालकर वादीनी के खातेदारी खेत में कब्जा करने पर आमादा है। वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी में टुकड़े रोपने से मना किया तो प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी व वादीनी के परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई। वादीनी का घर खसरा नम्बर 244 / 107 रकबा 5.10 बीघा है, उक्त आबादी भूमि सतु पुत्र महबूब की खातेदारी से खारिज होकर वादीनी व उसके परिवार के लोगों के घरों की बसावट अनुसार न्यायालय आदेश से प्राप्त हुई है, जिसका प्रतिफल पूर्व खातेदार सतु पुत्र महबूब को अदा किया जा चुका है। वादीनी के शांतिप्रिय एवं महिला होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादीनी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर अपना कब्जा पुख्ता करने पर आमादा है। साथ ही हाल ही में प्रतिवादीगण द्वारा एकराय होकर अन्य गुट के साथ मिलकर हमारे परिवार के साथ लाठी डण्डों से मारपीट की गई तथा गाड़ी के काचं फोड़ दिये गये। प्रतिवादीगण द्वारा हमारे घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर मारपीट की गई तथा हमारी खातेदारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी की वादीनी रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादीनी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रवेश नहीं करने, वादीनी के खातेदारी खेत में किसी प्रकार का निर्माण व कब्जा नहीं करने तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे के आश्रय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये [illegible] के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादीनी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप अपना बयान शपथ पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.27 13:18:05 IST
Reason: SelfAttested

वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीनी अधिवक्ता द्वारा व[illegible] के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादीनी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रवेश नहीं करने, वादीनी के खातेदारी खेत में किसी प्रकार का निर्माण व कब्जा नहीं करने तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे के आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

हमने वादीनी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं क साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि दीनी विवादित आराजी की रेकर्डेड खातेदार है। वादीनी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरूद्ध तरीके के प्रवेश कर वादीनी की खातेदारी पर कब्जा एवं निर्माण कार्य करने पर आमादा होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीनी की खातेदारी भूमि में विधि विरूद्ध तरीके से प्रवेश नहीं करने, वादीनी के खातेदारी खेत में किसी प्रकार का निर्माण व कब्जा नहीं करने तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे के आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी मौजा चक गूंगा की आबादी भूमि के लगायत आई हुई होने से विवाद होने से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुस्थित रहे है। वादीनी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप बयान शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः उक्त स्थिति में विवादित आराजी खसरा नम्बर 313/195 वादीनी की खातेदारी भूमि होने तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी की खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा करने पर आमादा होने से वादीनी अपनी खातेदारी भूमि में दखलदांजी रोकने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीनी की खातेदारी भूमि मौजा चक गूंगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 313/195 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रवेश नहीं करने, वादीनी के खातेदारी खेत में किसी प्रकार का निर्माण व कब्जा नहीं करने तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे के आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.27 13:18:05 IST
Reason: SelfAttested